अध्याय–III

सामाजिक सुरक्षा और पुनर्वास

अध्याय–III

सामाजिक सुरक्षा और पुनर्वास

सामाजिक सुरक्षा घेरे के तहत विशेष योग्यजनों का अपर्याप्त क्षेत्र इस तथ्य से स्पष्ट था कि 15.64 लाख में से केवल 5.77 लाख (36.89 प्रतिशत) विशेष योग्यजनों को दिव्यांगता पेंशन प्रदान की जा रही थी। इसके अलावा, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत जोड़े गए विशेष योग्यजनों की 14 श्रेणियों को अत्यधिक देरी से पेंशन का लाभ दिया गया था।

सभी जिलों में जिला दिव्यांगता पुनर्वास केन्द्र स्थापित नहीं किये जाने के कारण पुनर्वास सेवा उपलब्ध नहीं करायी जा सकी। राज्य में बौद्धिक दिव्यांगता वाले विशेष योग्यजनों के लिए मानसिक विमंदित गृह पर्याप्त नहीं थे और संचालित मानसिक विमंदित गृह मानव संसाधनों की गैर/कम तैनाती जैसी कमियों से ग्रस्त थे।

विशेष योग्यजन सुखद दाम्पत्य जीवन योजना और संयुक्त सहायता अनुदान योजना के तहत आय प्रमाण-पत्र, विवाह कार्ड, मूल निवास, दिव्यांगता प्रमाण-पत्र और अंग एवं उपकरणों की प्राप्ति जैसे आवश्यक दस्तावेजों को प्राप्त किए बिना विशेष योग्यजनों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई। विशेष योग्यजन सुखद दाम्पत्य जीवन योजना के तहत 34 प्रतिशत मामलों का निपटारा विलंब से किया गया। विभाग द्वारा संयुक्त सहायता अनुदान योजना, एडीआईपी योजना, एलिम्को और गैर सरकारी संगठनों और सांसद स्थानीय क्षेत्र/विधानसभा सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजनाओं के माध्यम से विशेष योग्यजनों को उपलब्ध कराये गये अंग और उपकरणों के अभिलेख नहीं रखे गये थे। राज्य में विशेष योग्यजनों के स्वरोजगार के लिए मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना प्रभावी ढंग से क्रियान्वित नहीं की गई थी क्योंकि किसी भी लाभार्थी को ऋण के समय पर पुनर्भुगतान करने पर ब्याज में विशेष छूट प्रदान नहीं की गई थी। इसके अलावा, पूर्ण ऋण के वास्तविक संवितरण को सुनिश्चित किए बिना अनुदान जारी किया गया था और मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के तहत अपात्र व्यक्तियों को अनुदान का अनियमित वितरण किया गया था। जिलों में विभाग के भवनों को विशेष योग्यजनों के लिए पूरी तरह से सुलभ बनाने के प्रयास अपर्याप्त थे।

3.1 सामाजिक सुरक्षा

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की धारा 24 (1) में प्रावधित है कि सरकार उचित जीवन स्तर के लिए दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा और संवर्धन के लिए आवश्यक योजनाएं और कार्यक्रम तैयार करेगी ताकि वे स्वतंत्र या समुदाय में रह सकें। राज्य सरकार ने विशेष योग्यजनों के कल्याण, सामाजिक सुरक्षा और पुनर्वास के लिए कई योजनाएं लागू की हैं।

राज्य में क्रियान्वित की जा रही 12 योजनाओं में उपलब्ध लाभों एवं अधिकारों का विवरण तथा उनकी पात्रता के मानदंड ***परिशिष्ट–II*** में दिए गए हैं ।

3.1.1 मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन पेंशन योजना एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की धारा 24 (3) दिव्यांग व्यक्तियों की सामाजिक सुरक्षा के लिए दिव्यांगता पेंशन की सुविधा प्रदान करती है । इस प्रावधान को लागू करने के लिए, राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन पेंशन योजना (सीएमडीपीएस)[13] और केंद्र प्रायोजित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना (आईजीएनडीपीएस)[14] लागू की जा रही है । दोनों पेंशन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा *राजएसएसपी* पोर्टल[15] के माध्यम से वितरित की जाती हैं ।

लेखापरीक्षा संवीक्षा (जुलाई 2021-जनवरी 2022) में इन योजनाओं के कार्यान्वयन में कमियां पाई गईः

(i) ***पेंशन का क्षेत्र:*** 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 15.64 लाख दिव्यांग व्यक्ति थे । लेखापरीक्षा में पाया गया कि इसमें से केवल 5.77 लाख[16] विशेष योग्यजनों (36.89 प्रतिशत) को मार्च 2021 तक दिव्यांगता पेंशन मिल रही थी ।

उपनिदेशक, विशेष योग्यजन ने तथ्यों को स्वीकार किया (अप्रैल 2022) और अवगत कराया कि 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले विशेष योग्यजन पेंशन के लिए पात्र थे और वर्तमान में राज्य में 6.50 लाख विशेष योग्यजन पेंशन प्राप्त कर रहे थे । उन्होंने यह भी अवगत कराया कि सभी विशेष योग्यजन व्यक्ति, चाहे वे 40 प्रतिशत

---

13 मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन पेंशन योजनाः इस योजना में 58 वर्ष (पुरुष)/55 वर्ष (महिला) से कम आयु के विशेष योग्यजनों को ₹ 750 प्रति माह; जो 58 वर्ष (पुरुष)/55 वर्ष (महिला) की आयु प्राप्त करता है लेकिन 75 वर्ष से कम हैं ₹ 1,000 प्रति माह और 75 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले विशेष योग्यजनों के लिए ₹ 1,250 प्रति माह पेंशन के भुगतान करने की परिकल्पना की गई है ।

14 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजनाः इस योजना में विशेष योग्यजनों (राजस्थान के निवासी) जो 18 वर्ष से अधिक लेकिन 58 वर्ष (पुरुष)/55 वर्ष (महिला) से कम है को ₹ 750 प्रति माह; जो 58 वर्ष (पुरुष)/55 वर्ष (महिला) की आयु प्राप्त करता है लेकिन 75 वर्ष से कम हैं ₹ 1,000 प्रति माह और जो 75 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले विशेष योग्यजनों के लिए ₹ 1,250 प्रति माह पेंशन का भुगतान करने की परिकल्पना की गई है भारत सरकार 80 वर्ष की आयु तक प्रति विशेष योग्यजन ₹ 300 प्रति माह और 80 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद ₹ 500 प्रति माह तक प्रतिपूर्ति करता है ।

15 *राजएसएसपी* पोर्टल सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के लिए राष्ट्रीय सूचना केंद्र द्वारा विकसित (02 अक्टूबर 2017) किया गया है और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उपयोग लिया जाता है ।

16 मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन पेंशन योजना : 5.51 लाख और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय *निःशक्त* पेंशन योजना : 0.26 लाख ।

या उससे कम दिव्यांगता से पीड़ित हों, जनगणना में शामिल थे, जबकि पेंशन 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता से पीड़ित लोगों को ही प्रदान की जानी थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि भारत सरकार द्वारा प्रकाशित सांख्यिकीय सूचना में दिव्यांग व्यक्तियों की पहचान 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता के आधार पर की गई थी। उत्तर को इस तथ्य को ध्यान में रखकर देखे जाने की आवश्यकता है कि दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए राज्य में विभिन्न स्तरों पर तीन लाख से अधिक आवेदन लंबित थे (विवरण अनुच्छेद 4.1 में), जिसका समय पर निपटान अनेक विशेष योग्यजनों को दिव्यांगता पेंशन प्राप्त करने में सक्षम बना सकता था।

(ii) आवेदनों की स्थिति: लेखापरीक्षा में पाया गया कि अक्टूबर 2017 से मार्च 2021 की अवधि के दौरान पेंशन के लिए विशेष योग्यजनों से 4.84 लाख आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से, 0.74 लाख आवेदन दिसंबर 2021 तक नौ महीने से तीन साल[17] से अधिक समय से लंबित थे। विभाग द्वारा अप्रैल 2016 से सितम्बर 2017 तक की अवधि की सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। विभाग द्वारा आवेदनों के लम्बित होने का कारण भी उपलब्ध नहीं कराया गया (दिसम्बर 2022)।

राजस्थान सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया और अवगत कराया (नवम्बर 2022) कि विभागीय इकाइयों से सूचना प्राप्त करने के बाद सूचना उपलब्ध करायी जायेगी।

3.1.2 अतिरिक्त श्रेणियों को पेंशन लाभ

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की धारा 24 दिव्यांग व्यक्तियों की सामाजिक सुरक्षा के लिए दिव्यांगता पेंशन की सुविधा प्रदान करती है। निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 में दिव्यांगों की सात श्रेणियां शामिल थी, जबकि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 2 (यग) में दिव्यांगों की 21 श्रेणियां निर्दिष्ट थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया (अगस्त 2021) कि शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने अक्टूबर 2021 में, अधिनियम के कार्यान्वयन के चार साल से अधिक समय व्यतीत हो जाने के बाद, दिव्यांगों की अतिरिक्त श्रेणियों के लिए पेंशन लाभ का विस्तार करने का आदेश जारी किया गया।

17 2,001 आवेदन तीन वर्षों से अधिक समय से लंबित थे, 31,576 आवेदन एक से तीन वर्ष तक के लिये और 40,475 आवेदन एक वर्ष तक के लिए लंबित थे।

3.1.3 आस्था कार्ड धारकों को सुविधाएं

आस्था योजना का उद्देश्य दो या दो से अधिक सदस्यों वाले दिव्यांग परिवारों के वित्तीय तनाव को कम करना था। अधिसूचित परिवारों को निदेशालय, विशेष योग्यजन से एक 'आस्था कार्ड' प्राप्त होना था। इस योजना के तहत, गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों को लाभ प्रदान करने वाली सभी संस्थाओं को आस्था कार्ड वाले परिवारों को समान लाभ देना था।

मार्च 2021 तक, निदेशालय, विशेष योग्यजन द्वारा 17,786 कार्ड सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला कार्यालयों को संबंधित परिवारों को वितरण के लिए जारी किए गए थे।

लेखापरीक्षा में पाया गया (अगस्त 2021-जनवरी 2022) कि तीन नमूना जांच किए गए जिलों[18] में, 2016-21 के दौरान जिला कार्यालयों में वितरण के लिए 1,037 आस्था कार्ड[19] प्राप्त हुए थे, जिनमें से 508 आस्था कार्ड[20] (48.99 प्रतिशत) नौ से 17 महीने व्यतीत हो जाने के बाद भी वितरित नहीं किए गए थे।

राजस्थान सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया और अवगत कराया (नवम्बर 2022) कि सभी नमूना जांच किए गए आठ जिलों में लाभार्थियों को आस्था कार्ड वितरित कर दिए गए हैं। तथापि, इस दावे के समर्थन में पुष्टिकारक साक्ष्य तथा विलम्ब के कारणों को विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया (दिसम्बर 2022)।

3.2 विशेष योग्यजनों का पुनर्वास

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की धारा 27 में प्रावधान था कि सरकार को सभी दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से स्वास्थ्य, शिक्षा और नियोजन के क्षेत्रों में पुनर्वास के कार्यक्रम प्रारम्भ करने थे। पुनर्वास एक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि दिव्यांग व्यक्ति अपने शारीरिक, सामाजिक, संवेदी, बौद्धिक, मनोवैज्ञानिक और पर्यावरण के सभी पहलुओं में कार्य करने का सर्वोत्तम संभव स्तर प्राप्त कर सके।

3.2.1 जिला दिव्यांगता पुनर्वास केंद्र (डीडीआरसी)

जिला स्तर पर बुनियादी ढांचे के निर्माण और क्षमता निर्माण की सुविधा के लिए जागरूकता पैदा करने, पुनर्वास, प्रशिक्षण और पुनर्वास पेशेवरों के मार्गदर्शन के लिए, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी), भारत सरकार ने गैर सरकारी संगठनों द्वारा चलाए

18 बाड़मेर, टोंक, बीकानेर।

19 1,037 कार्डः (बाड़मेरः 289, टोंकः 413 और बीकानेरः 335)।

20 508 कार्डः (बाड़मेरः 270, टोंकः 109 और बीकानेरः 129)।

जाने वाले जिला दिव्यांगता पुनर्वास केंद्र[21] की स्थापना को प्रायोजित किया और दिव्यांगजनों को व्यापक सेवाएं प्रदान करने की दृष्टि से जिला प्रबंधन दल[22] द्वारा पर्यवेक्षण किया जाता है ।

लेखापरीक्षा में पाया गया (जुलाई-अगस्त 2021) कि भारत सरकार द्वारा राजस्थान के लिए अनुमोदित 17 जिला दिव्यांगता पुनर्वास केंद्रों[23] (1999) के विरुद्ध मार्च 2021 तक केवल तीन जिला दिव्यांगता पुनर्वास केंद्र[24] कार्यरत थे । सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार ने राजस्थान सरकार को प्रत्येक जिले में कम से कम एक जिला दिव्यांगता पुनर्वास केंद्र स्थापित करने का सुझाव दिया था (नवंबर 2019) लेकिन मार्च 2021 तक इस संबंध में कोई प्रगति नहीं हुई । तीन क्रियाशील जिला दिव्यांगता पुनर्वास केन्द्रों में, लेखापरीक्षा में पाया गया (सितंबर 2021) कि जिला दिव्यांगता पुनर्वास केंद्र उदयपुर में, 2016-21 के दौरान अनिवार्य 20 बैठकों के विरुद्ध जिला प्रबंधन दल की केवल एक बैठक (2017) आयोजित हुई थी ।

राजस्थान सरकार ने अवगत कराया (नवम्बर 2022) कि 2020-21 में भारत सरकार को छह जिला दिव्यांगता पुनर्वास केंद्र स्थापित करने के प्रस्ताव भेजे गए थे और 2021-22 में तीन जिला दिव्यांगता पुनर्वास केंद्र के लिए प्रस्ताव भेजे गए थे और इन प्रकरणों में भारत सरकार से अनुमोदन प्रतीक्षित था ।

3.2.2 मानसिक विमंदित पुनर्वास गृहों का प्रबंधन

मानसिक विमंदित (मावि) पुनर्वास गृहों की स्थापना, मानसिक विमंदित व्यक्तियों को भोजन, कपड़े, चिकित्सा सुविधाओं आदि के प्रावधान के साथ आवासीय सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी । राजस्थान सरकार ने जामडोली, जयपुर में 250 व्यक्तियों[25] के लिए आवासीय सुविधा वाले एक मानसिक विमंदित गृह[26] की स्थापना (1983) में की गई । यह मानसिक विमंदित गृह निदेशालय, विशेष योग्यजन की देखरेख और नियंत्रण में संचालित है । इसके अलावा, राजस्थान के 26 जिलों में मार्च 2021 तक गैर सरकारी संगठनों द्वारा 2,100 विशेष योग्यजन व्यक्तियों की प्रवेश क्षमता वाले 35 मानसिक विमंदित गृह संचालित किए जा रहे थे ।

---

21 भारत सरकार द्वारा पूर्ण रूप से वित्त पोषित ।

22 जिला कलेक्टर के नेतृत्व में ।

23 अजमेर, जोधपुर, टोंक, बीकानेर, जैसलमेर, जालौर, पाली, उदयपुर, अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, झुंझुनू, सीकर, नागौर, बाड़मेर और बांसवाड़ा ।

24 उदयपुर, जालौर, चित्तौड़गढ़ ।

25 बालकः 125 और महिलाएंः 125

26 राजकीय मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह ।

राजकीय मानसिक विमंदित गृह जामडोली और नमूना जांच किए गए आठ जिलों में चयनित आठ मानसिक विमंदित गृहों (गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित) के अभिलेखों की संवीक्षा (अगस्त 2021-जनवरी 2022) में निम्नलिखित का पता चलाः

(i) मानसिक विमंदित गृहों की स्थापना

वर्ष 2010-14 के दौरान की गई मुख्यमंत्री बजट घोषणा के अनुसार, सभी जिलों[27] में 50-250 मानसिक विमंदित विशेष योग्यजन व्यक्तियों की प्रवेश क्षमता वाले मानसिक विमंदित गृह स्थापित किया जाना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया (जुलाई-अगस्त 2021) कि राज्य के सभी जिलों को सम्मिलित करते हुए 2015-16 तक गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से 42 मानसिक विमंदित गृह स्थापित किए गए थे। हालांकि, 2016-19 के दौरान, इनमें से सात मानसिक विमंदित गृह बंद कर दिए गए थे, जिसके कारण मार्च 2021 तक राज्य के सात जिलों[28] में कोई भी मानसिक विमंदित गृह संचालित नहीं था।

राजस्थान सरकार ने अवगत कराया (नवम्बर 2022) कि राज्य में 2,275 विशेष योग्यजन व्यक्तियों की क्षमता के 38 मानसिक विमंदित गृह संचालित थे (नवम्बर 2022)। आगे यह अवगत कराया गया कि गृहों के निरीक्षण के दौरान कुछ मानसिक विमंदित गृहों में अनियमितताओं या लाभार्थियों की कमी के कारण बंद कर दिए गए थे।

सरकार के उत्तर को इस तथ्य को ध्यान में रखकर देखे जाने की आवश्यकता है कि गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित तीन मानसिक विमंदित गृहों[29] में 350 की कुल निर्दिष्ट क्षमता के विरुद्ध 523 आवासित थे और राजकीय मानसिक विमंदित गृह, जामडोली (जयपुर) में 250 की क्षमता के विरुद्ध 323 आवासित थे। आगे, आशाधाम आश्रम सोसाइटी (मावि गृह), उदयपुर में विशेष योग्यजनों के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं था, जैसा कि नीचे दिए गए छायाचित्रों में दिखाया गया हैः

---

27 बजट घोषणाएं 2010-11: जयपुर और जोधपुर के प्रत्येक मानसिक विमंदित गृह में 250 की क्षमता के साथ, 2011-12: अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा और भरतपुर के प्रत्येक मानसिक विमंदित गृह में 50 की क्षमता के साथ, 2012-13: बारां, बाड़मेर, चुरू, जालौर, पाली, राजसमंद, टोंक, झालावाड़, झुंझुनू, भीलवाड़ा, सवाईमाधोपुर, चित्तौड़गढ़ और सीकर के प्रत्येक मानसिक विमंदित गृह में 50 की क्षमता के साथ, 2013-14: अलवर, बांसवाड़ा, बूंदी, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, श्रीगंगानगर, जैसलमेर, नागौर, सिरोही, करौली, हनुमानगढ़ और प्रतापगढ़ के प्रत्येक मानसिक विमंदित गृह में 50 की क्षमता के साथ।

28 सात मानसिक विमंदित गृह (2016-17: भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, श्रीगंगानगर, राजसमंद, हनुमानगढ़, 2017-18: धौलपुर और 2018-19: दौसा)।

29 (i) आशाधाम आश्रम सोसाइटी, उदयपुर (ii) माँ माधुरी बृज वारिस सेवा सदन, कोटा और (iii) सोसाइटी टू अपलिफ्ट रूरल इकोनॉमी (श्योर), बाड़मेर।

आशाधाम आश्रम सोसाइटी, उदयपुर में स्थान और आवश्यक सुविधाओं की कमी के कारण मानसिक विमंदित विशेष योग्यजन गैलरी में बैठे और फर्श पर सो रहे हैं (7 सितंबर 2021)।

लेखापरीक्षा का विचार है कि कुछ विशेष योग्यजन व्यक्तियों को कम संख्या वाले मानसिक विमंदित गृहों में स्थानांतरित किया जा सकता था, जिससे न केवल भीड़भाड़ वाले मानसिक विमंदित गृहों में बेहतर रहने की स्थिति पैदा होती, बल्कि और अधिक जिलों में मानसिक विमंदित गृह संचालित हो सकते थे।

राजस्थान सरकार ने अवगत कराया (नवम्बर 2022) कि राजकीय मानसिक विमंदित गृहों में 125 बालकों के लिए पृथक भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। आगे अवगत कराया गया कि आशाधाम आश्रम सोसाइटी का नया भवन निर्माणाधीन है और नए भवन का काम पूरा होने के बाद अतिरिक्त लाभार्थियों को स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

(ii) मानसिक विमंदित गृहों में मानव संसाधन

(अ) राजकीय मानसिक विमंदित गृह जामडोली: 2016-21 की अवधि के दौरान बालक विंग में रिक्तियां 33.93 प्रतिशत से 60.71 प्रतिशत और महिला विंग में 57.89 प्रतिशत से 66.67 प्रतिशत के बीच थी। यह पाया गया कि स्वीकृत पदों के विरूद्ध, कुछ महत्वपूर्ण पद जैसे थेरेपिस्ट, शिक्षक, फिजियोलॉजिस्ट आदि के पद 2016-21 की अवधि के दौरान रिक्त[30] थे।

(ब) गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित मानसिक विमंदित गृह: राज्य सरकार द्वारा स्थापित मानकों के विरुद्ध, सभी चयनित आठ मानसिक विमंदित गृहों में मार्च 2021 को

30 बालक विंग में काउंसलर जूनियर स्पेशलिस्ट-1, क्लिनिकल फिजियोलॉजिस्ट-1, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट-1, विशेष शिक्षक-9 के पद मार्च/अप्रैल 2016 से लगातार रिक्त थे। इसी तरह महिला विंग में मनोचिकित्सक कनिष्ठ विशेषज्ञ-1, वोकेशनल थेरेपिस्ट-1, क्लिनिकल फिजियोलॉजिस्ट-1, विशेष शिक्षक-10, छात्रावास अधीक्षक-16 के पद मार्च 2016 से लगातार रिक्त थे।

चिकित्सा कर्मचारियों सहित मानव संसाधन की कमी, स्वीकृत संस्था[31] के विरुद्ध 11.90 प्रतिशत से 71.23 प्रतिशत के बीच देखी गई।

2016-21 के दौरान राजकीय मानसिक विमंदित गृह और मार्च 2021 को गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित मानसिक विमंदित गृहों में पदस्थापित मानव संसाधन की स्वीकृत और कार्यरत का विवरण ***परिशिष्ट III (अ) और (ब)*** में उपलब्ध कराया गया है।

राजस्थान सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया और अवगत कराया (नवम्बर 2022) कि राजकीय मानसिक विमंदित गृह में रिक्त पदों को भरने के लिए निदेशालय, विशेष योग्यजन और अन्य विभागों के साथ नियमित पत्राचार किया गया था। गैर सरकारी संगठन द्वारा संचालित मानसिक विमंदित गृह के लिए संबंधित जिला अधिकारी को अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

मानसिक विमंदित गृहों में भारी रिक्तियां मानसिक विमंदित विशेष योग्यजनों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं और देखभाल पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं।

अनुशंसा 4: *राज्य सरकार पर्याप्त संख्या में सरकारी/गैर-सरकारी संगठनों द्वारा संचालित मानसिक विमंदित गृह स्थापित कर सकती है और निर्धारित मानदंडों के अनुसार पर्याप्त बुनियादी ढांचे और मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित कर सकती है।*

(iii) मानसिक विमंदित विशेष योग्यजनों के लिए दिव्यांगता प्रमाण-पत्र

राजस्थान मानसिक विमंदित पुनर्वास गृह संचालन नियम, 2015 के नियम 5 (3) के अनुसार, दिव्यांगता प्रमाण-पत्र संबंधित विशेष योग्यजन की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जाएगा और दिव्यांगता प्रमाण-पत्र की अनुपलब्धता के मामले में विशेष योग्यजनों के लिए गैर सरकारी संगठन को अनुदान स्वीकृत नहीं किया जाएगा। यह भी अनिवार्य किया गया था कि अनुदान प्राप्त करने वाला गैर सरकारी संगठन दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए मानसिक विमंदित गृह में प्रवेश के तीन दिवसों के भीतर मानसिक विमंदित विशेष योग्यजनों का चिकित्सकीय परीक्षण कराने के लिए जिम्मेदार होगा।

लेखापरीक्षा जांच (अगस्त 2021-जनवरी 2022) में पाया गया कि मानसिक विमंदित गृहों में प्रवेशित मानसिक विमंदित विशेष योग्यजनों के लिए दिव्यांगता प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं थे जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है:

---

31 राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश (सितम्बर 2011) के अनुसार: 50 विशेष योग्यजनों की आवास क्षमता वाले मानसिक विमंदित गृहों के संचालन के लिए गैर सरकारी संगठन द्वारा परियोजना पर्यवेक्षक-1; केयर टेकर (तीन पारियों के लिए 3); रसोइया-2; अटेंडेंट (तीन पारियों के लिए 15); अंशकालिक चिकित्सक-1; नर्स-6 और चौकीदार-3 को पदस्थापित किया जाना चाहिए।

राजकीय मानसिक विमंदित गृह जामडोली: मार्च 2021 को 323 विशेष योग्यजनों में से केवल 28 विशेष योग्यजनों [32] (8.66 प्रतिशत) के पास दिव्यांगता प्रमाण-पत्र थे ।

गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित मानसिक विमंदित गृह: मार्च 2021 तक 828 विशेष योग्यजनों में से केवल 584 विशेष योग्यजनों (70.53 प्रतिशत) के दिव्यांगता प्रमाण-पत्र उपलब्ध थे ।

राजस्थान सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया और अवगत कराया (नवम्बर 2022) कि विशेष योग्यजनों को प्रथम दृष्टया दिव्यांगता के आधार पर प्रवेश दिया गया था और उसके बाद दिव्यांगता प्रमाण-पत्र तैयार करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की गई थी । इसमें आगे अवगत कराया गया कि राजकीय मानसिक विमंदित गृह में 44 विशेष योग्यजनों के दिव्यांगता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराए गए हैं और प्रवेशित किए गए आवासियों के दिव्यांगता प्रमाण-पत्र तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है ।

राजस्थान मानसिक विमंदित पुनर्वास गृह संचालन नियम, 2015 के प्रावधानों के तहत मानसिक विमंदित गृहों में प्रवेशित सभी मानसिक विमंदित विशेष योग्यजनों के लिए दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जारी करने से मानसिक विमंदित विशेष योग्यजनों से संबंधित सूचनाओं को एकत्रित और रखरखाव करने में मदद मिलेगी और कल्याणकारी गतिविधियों और उनसे संबंधित योजनाओं की आयोजना और निष्पादन करने में उन्हें सभी आवश्यक लाभ प्रदान करने और एक सहयोग के रूप में काम करने में मदद मिलेगी ।

3.3 विशेष योग्यजनों के कल्याणार्थ योजनाएं

3.3.1 विशेष योग्यजन सुखद दाम्पत्य जीवन योजना

राजस्थान सरकार ने विशेष योग्यजनों को उनके विवाह के समय सहायता प्रदान करने के लिए *'सुखद दाम्पत्य जीवन योजना'* शुरू (1997) की । इस योजना के तहत, विशेष योग्यजनों[33] को विवाह के बाद वित्तीय सहायता[34] प्रदान की जानी थी । लाभ प्राप्त करने के लिए, विशेष योग्यजनों को सहायता के लिए अपना आवेदन विवाह की तारीख से छह महीने के अन्दर विवाह प्रमाण-पत्र, दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, जन्म प्रमाण-पत्र और आय प्रमाण-पत्र इत्यादि जैसे आवश्यक दस्तावेजों के साथ ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करना आवश्यक था । प्रमाणित दस्तावेज को आवेदन की तारीख से तीन महीने के भीतर संबंधित

32 बालकः 9 और महिलाएंः 19

33 शर्तः आय सीमा ₹ 0.50 लाख प्रति वर्ष और उसके बाद 10 मई 2018 से विशेष योग्यजनों के अभिभावक/माता-पिता की आय सीमा ₹ 2.50 लाख प्रति वर्ष संशोधित की गई ।

34 मई 2017 तक ₹ 25,000 और उसके बाद ₹ 50,000

कर्मचारी द्वारा सत्यापित और ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जाना था। यह योजना जिला कार्यालयों के स्तर पर (अप्रैल 2018 तक) और उसके बाद ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा कार्यालयों में लागू की गई थी।

वर्ष 2016-21 के दौरान नमूना जांच किये गये आठ जिलों में स्वीकृत 369 आवेदनों[35] में से लेखापरीक्षा ने (जुलाई 2021-जनवरी 2022) 205 स्वीकृत आवेदनों[36] का विश्लेषण किया। यह देखा गया कि आवेदन में आवश्यक दस्तावेजों जैसे आय प्रमाण-पत्र (15 मामलों में), विवाह कार्ड (35 मामलों में) और निवास प्रमाण-पत्र (22 मामलों में) के बिना स्वीकृत किए गए थे। इन मामलों में अपात्र व्यक्तियों को सहायता के विचलन के जोखिम से इंकार नहीं किया जा सकता है।

70 मामलों (34 प्रतिशत) में, आवेदनों के निपटान में 733 दिनों[37] तक का विलम्ब था।

राजस्थान सरकार ने अवगत कराया (नवंबर 2022) कि इस मामले में रिपोर्ट भेजने के लिए संबंधित जिला अधिकारियों को पत्र जारी कर दिए गए हैं और तदनुसार उत्तर प्रस्तुत किया जाएगा।

3.3.2 संयुक्त सहायता अनुदान योजना

मुख्यमंत्री बजट घोषणा वर्ष 2011-12 के अनुसार, विशेष योग्यजनों के पुनर्वास हेतु सभी विशेष योग्यजनों को उनकी आवश्यकता के अनुसार तीन वर्ष के अन्दर अंग एवं उपकरण उपलब्ध कराये जाने थे। इन उपकरणों में बैसाखी, कृत्रिम पैर, ट्राईसाईकिल, व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र आदि शामिल थे।

राजस्थान सरकार ने विशेष योग्यजनों को अंग और उपकरणों की खरीद और स्वरोजगार के लिए ₹ 7,000 तक की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए संयुक्त सहायता अनुदान योजना लागू (जनवरी 2016) की इस राशि को मई 2017 में संशोधित कर ₹10,000 कर दिया गया था।

लेखापरीक्षा ने निदेशालय, विशेष योग्यजन तथा नमूना जांच किये गये आठ जिला कार्यालयों के अभिलेखों की संवीक्षा (जुलाई 2021-जनवरी 2022) के दौरान योजना के क्रियान्वयन में कमियां पाई गई।

35 जिला कार्यालयः 303 मामले और ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी कार्यालयः 66 मामले

36 जिला कार्यालयः 139 मामले और ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी कार्यालयः 66 मामले

37 तीन महीने के अंतराल से गणना की गई जिसके अन्दर नागरिक अधिकार पत्र के अनुसार आवेदन को प्रोसेस करने की आवश्यकता थी।

(अ) आठ नमूना जांच किए गए जिलों में 252 स्वीकृत आवेदनों[38] की नमूना जांच में पाया गया कि प्रपत्रों के सत्यापन के साथ-साथ राजपत्रित अधिकारी द्वारा आय प्रमाण-पत्र का अभाव (203 मामले), चिकित्सा अधिकारी की सिफारिश के साथ दिव्यांगता प्रमाण-पत्र की प्राप्ति का अभाव (174 मामले) और लाभार्थियों से अंग और उपकरणों की प्राप्ति की पावती का अभाव (166 मामले) जैसी अनियमितताओं के बावजूद आवेदन स्वीकार किए गए थे। इन मामलों में, अपात्र व्यक्तियों को सहायता के विचलन के जोखिम से इंकार नहीं किया जा सकता है।

(ब) खरीद के दो से तीन वर्षों के बाद भी, चार जिलों कार्यालयों में 212 अंग और उपकरण[39] जिला कार्यालयों के भंडार कक्ष/छात्रावास/खुले क्षेत्र में पड़े थे, जैसा कि निम्नलिखित छायाचित्रों में दिखाया गया है:

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला कार्यालय कोटा के स्टोर रूम में बंद बक्सों में अनुपयोगी पड़े अंग और उपकरण (24 सितंबर 2021)।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला कार्यालय सवाईमाधोपुर के खुले क्षेत्र में अनुपयोगी पड़ी ट्राईसाइकिल (स्क्रैप स्थिति में) (20 अक्टूबर 2021)।

38 252 आवेदनः जोधपुर (43); बीकानेर (36); कोटा (60); डूंगरपुर (38); बाड़मेर (50) और उदयपुर (25)।

39 212 अंग और उपकरणः (कोटाः 16; सवाईमाधोपुरः 65; जोधपुरः 25 और बीकानेरः 106)।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि विशेष योग्यजनों को अंग और उपकरण राजस्थान सरकार की संयुक्त सहायता अनुदान योजना, भारत सरकार की एडीआईपी योजना[40], भारत सरकार के एलिम्को[41] और गैर-सरकारी संगठनों और सांसद स्थानीय क्षेत्र/विधानसभा सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजनाओं के माध्यम से वितरित किए जा रहे थे । हालांकि, विभाग द्वारा इन योजनाओं/एजेंसियों के माध्यम से विशेष योग्यजनों को उपलब्ध कराये गये अंग और उपकरणों का एक समेकित अभिलेख, दिव्यांगता प्रमाण-पत्र/आधार/जन-आधार[42] से जुड़ा संधारित नहीं था । इस तरह की जानकारी का रखरखाव उपलब्ध कराई गई सहायता की जानकारी रखने में मदद करेगा और सहायता के दोहराव को रोकेगा और वास्तव में वंचित विशेष योग्यजनों की पहचान करेगा ।

राजस्थान सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया और अवगत कराया (नवम्बर 2022) कि शिविरों में अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होने के कारण आवश्यक दस्तावेज संलग्न नहीं किए गए थे और आवेदन पत्रों पर हस्ताक्षर नहीं किए गए थे और आवेदनों में कमियों को दूर किया जा रहा है ।

3.3.3 विशेष योग्यजनों को स्वरोजगार ऋण

मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के तहत स्वरोजगार के लिए ऐसे विशेष योग्यजनों, जिनके माता-पिता/अभिभावक और स्वयं की आय ₹ 2.00 लाख प्रति वर्ष से अधिक नहीं हों, को ₹ 5.00 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराया जाना था । सरकार को ₹ 50,000 या ऋण की 50 प्रतिशत राशि, जो भी कम हो, का अनुदान उपलब्ध कराना था । दिशा-निर्देशों के अनुसार ऋण की समय पर अदायगी करने पर ब्याज दर में पाँच प्रतिशत की विशेष छूट का लाभ दिया जाना था ।

निदेशालय विशेष योग्यजन और चयनित आठ जिलों के उप निदेशक/सहायक निदेशक के अभिलेखों की नमूना जांच में योजना के कार्यान्वयन में कई कमियां पाई गईं ।

(i) वर्ष 2016-21 के दौरान नमूना जांच किये सभी जिलों में ऋण की किस्तें समय से चुकाने वाले विशेष योग्यजनों को पाँच प्रतिशत ब्याज दर की विशेष छूट का लाभ नहीं दिया गया ।

(ii) योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, अनुदान की राशि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला/खण्ड कार्यालयों द्वारा लाभार्थी को पूर्ण ऋण के वितरण

40 अंग और उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता ।

41 भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है ।

42 जन-आधार संख्या राजस्थान सरकार द्वारा जारी एक परिवार और एक व्यक्ति की एकल/विशिष्ट पहचानकर्ता है ।

के बाद बैंक को हस्तांतरित की जानी थी । यह पाया गया कि जिला/खण्ड कार्यालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने 65 मामलों में पूर्ण ऋण के वास्तविक संवितरण को सुनिश्चित किये बिना, बैंक से प्राप्त पत्र के आधार पर बैंक को अनुदान (कुल ₹ 21.21 लाख) जारी की गई ।

(iii) योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, अनुदान की राशि दो किस्तों में वितरित की जानी थी अर्थात अनुदान की प्रथम किस्त ऋण की स्वीकृति के समय वितरित की जाएगी और बाद में द्वितीय किस्त प्रथम किस्त जारी होने के दो महीने के अन्दर वितरित की जाएगी। यह पाया गया कि मार्च 2021 तक 457 मामलों में अनुदान की द्वितीय किस्त का गैर संवितरण/विलंबित वितरण रहा । इन मामलों में अनुदान की पहली किस्त जारी होने की तारीख से दो से 36 महीने के बीच विलम्ब रहा था ।

(iv) योजना के तहत, 18 से 55 वर्ष की आयु के विशेष योग्यजनों को लाभ प्रदान किया जाना था । यह पाया गया कि ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी खंडार ने 10 प्रकरणों में अनुदान जारी किया जिनमें विशेष योग्यजन 55 वर्ष से अधिक आयु के थे, जिसके परिणामस्वरूप कुल ₹ 5.00 लाख अनियमित भुगतान हुआ ।

राजस्थान सरकार ने अवगत कराया (नवम्बर 2022) कि संबंधित जिला अधिकारियों को रिपोर्ट भेजने के लिए पत्र जारी कर दिए गए हैं और जिला अधिकारियों से प्राप्त होने के बाद उत्तर प्रस्तुत किया जाएगा । पांच प्रतिशत ब्याज दर में विशेष छूट के लिए बैंकों से समन्वय कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी ।

अनुशंसा 5: *राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि विशेष योग्यजन के लिए निर्धारित लाभों का अपात्र व्यक्तियों को विचलन न हों । अपात्र व्यक्ति को लाभ के विचलन के लिए जिम्मेदारी तय की जा सकती हैं ।*

3.3.4 एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन/सुगम्य भारत अभियान

विशेष योग्यजनों के लिए सार्वभौमिक सुगम्यता प्राप्त करने और एक सक्षम और बाधा मुक्त वातावरण बनाने के लिए भारत सरकार ने सुगम्य भारत अभियान शुरू किया (दिसंबर 2015)। मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार ने सभी विभागों को निर्देश दिये (मई 2016) कि वे अपने सभी भवनों में दिव्यांगजनों के लिए रैम्प, विशेष शौचालय तथा व्हील चेयर की व्यवस्था करें ।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की धारा 45 में प्रावधान है कि सभी मौजूदा सार्वजनिक भवनों को नियमों की अधिसूचना की तारीख से अधिकतम पांच वर्ष की अवधि के अन्दर सुगम्य[43] बनाया जाना चाहिए । इसके अलावा, अधिनियम में यह भी अनिवार्य किया गया है कि राज्य सरकार को सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सिविल अस्पतालों, स्कूलों, रेलवे स्टेशनों और बस स्टॉप जैसी आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले अपने सभी भवनों और स्थानों में पहुंच प्रदान करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर एक कार्य योजना तैयार और प्रकाशित करनी चाहिए ।

(i) आठ नमूना जांच किए गए जिलों में, लेखापरीक्षा में पाया गया (अगस्त 2021-जनवरी 2022) कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला कार्यालय भी विशेष योग्यजनों के लिए पूरी तरह से सुगम्य नहीं थे क्योंकि रैंप, रेलिंग और सुलभ शौचालय का निर्माण नहीं किया गया था जिसके कारण विशेष योग्यजनों को सुगम्यता समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था जैसा कि निम्नलिखित छायाचित्रों में दिखाया गया हैं:

जिला सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग कार्यालय उदयपुर में सीढ़ियां चढ़ता विशेष योग्यजन (1 सितंबर 2021) और जिला कार्यालय कोटा में बिना रैम्प व व्हीलचेयर के विशेष योग्यजन को हो रही परेशानी (24 सितंबर 2021) ।

(ii) लेखापरीक्षा ने नमूना जांच किए गए आठ जिलों में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम[44], राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड के कार्यालयों और रोजगार विभाग के आठ क्षेत्रीय/जिला कार्यालयों में सुगम्यता की जाँच की गई । संबंधित विभागों[45] ने अवगत कराया कि विशेष योग्यजनों की आसान पहुंच के लिए केवल रैंप का निर्माण किया गया था । हालांकि, अन्य सुविधाएं जैसे सुलभ शौचालय, व्हीलचेयर, साइनेज इत्यादि, इन भवनों में योजना के दिशानिर्देशों के तहत आवश्यक रूप से उपलब्ध नहीं थे ।

43 सुगम्य का अर्थ है कि दिव्यांग व्यक्ति बिना किसी अनुचित कठिनाइयों या बाहरी सहायता के पहुंच सकते हैं, प्रवेश कर सकते हैं, पास कर सकते हैं और निर्मित वातावरण का उपयोग कर सकते हैं ।

44 राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम ।

45 चार विभागः (आठ नमूना जांच किए गए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम, राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड और रोजगार विभाग के आठ क्षेत्रीय/जिला कार्यालय) ।

(iii) आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, जयपुर द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी (अगस्त 2021) के विश्लेषण से पता चला कि राज्य के 328 राजकीय महाविद्यालयों में से 53, 63 और 251 कॉलेजों में क्रमशः रैंप, विशेष शौचालय और व्हीलचेयर्स की सुविधा उपलब्ध नहीं थी । उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार ने अवगत कराया (जुलाई 2022) कि राजकीय महाविद्यालयों को रैम्प के निर्माण, विशेष शौचालय एवं व्हीलचेयर की व्यवस्था हेतु प्रावधान करने के निर्देश दिये गये थे ।

इस प्रकार, राज्य सरकार ने राज्य में भवनों की सुगम्यता बढ़ाने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किए गये । जिससे सार्वजनिक जीवन में विशेष योग्यजनों के समावेश और भागीदारी बाधित हो रही हैं ।

3.4 योजनाओं और कार्यक्रमों का सामाजिक अंकेक्षण

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की धारा 48 में प्रावधान है कि राज्य सरकार को दिव्यांगजन से जुड़ी समस्त सामान्य योजनाओं और कार्यक्रमों का सामाजिक अंकेक्षण करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि योजनाओं और कार्यक्रमों का दिव्यांगजन की आवश्यकता और अपेक्षाओं पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े ।

यह देखा गया कि निदेशालय, विशेष योग्यजन ने राज्य आयुक्त विशेष योग्यजन को सूचित किया (सितंबर 2021) कि महालेखाकार कार्यालय ने दिव्यांगजनों के सभी कार्यक्रमों और योजनाओं की समय-समय पर लेखापरीक्षा की ।

यह सामाजिक अंकेक्षण की अवधारणा की समझ और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के प्रावधान के तहत आवश्यकता की स्पष्ट कमी को दर्शाता है ।

राजस्थान सरकार ने अवगत कराया (नवम्बर 2022) कि निदेशालय विशेष योग्यजन द्वारा क्रियान्वित योजनाओं के निर्देश/अन्य डाटा को विभागीय पोर्टल/जन सूचना[46] पोर्टल पर जनता के लिए सामाजिक अंकेक्षण हेतु प्रदर्शित किया गया तथा आवश्यक सुझाव प्राप्त होने पर आवश्यक सुधार किया जाता है ।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सूचना का प्रावधान सामाजिक अंकेक्षण की आवश्यकता को पूरा नहीं करता है ।

अनुशंसा 6: *राज्य सरकार समय-समय पर सामाजिक अंकेक्षण कर सकती है जिससे उन्हें प्रगति की निगरानी करने के साथ-साथ विशेष योग्यजनों के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सुधार करने में मदद मिलेगी ।*

46 जन सूचना पोर्टल की शुरुआत 2019 में योजनाओं और उनके लाभार्थियों की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई थी ।